LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 14, 1960|*Phalguna* 24, 1881 (*Saka*).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mr. Speaker: The House will now take up questions. S.Q. No. 818. Shri Ram Krishan Gupta.

Shri Ram Krishan Gupta: Yes, I put the question.

An Hon. Member: The hon. Minister is absent.

Shri Raghunath Singh: The whole Ministry is absent.

Shri Surendranath Dwivedy: The entire Ministry is absent.

Mr. Speaker: Next question.

केन्द्रीय सूचना सेवा

\+

*८१९. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यादव : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या [illegible] के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सूचना सेवा के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री ग्रा० चं० जोशी) : केन्द्रीय सूचना सेवा की स्थापना १ मार्च, १९६० से हो गई है ।

Some Hon. Members: In English also.

Mr. Speaker: Yes.

Shri A. C. Joshi: The Service has been constituted with effect from 1st March, 1960.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सच है कि इस नई सेवा की स्थापना हो जाने के बाद भी कर्मचारियों के वेतन-क्रम अभी तक तै नहीं हो पाए हैं । अगर ऐसा है, तो इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है और इसका फैसला कब तक हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): यह सही नहीं है कि वेतन तै नहीं हुए हैं । जिन लोगों को सर्विस की स्केलों से ज्यादा तनख्वाह मिल रही थी उनकी स्केल किस प्रकार तै की जाये इस बारे में अभी तक निश्चय नहीं हो रहा है लेकिन औरों की स्केल का कुछ सवाल नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : लगभग एक वर्ष पहले इस सम्बन्ध के नियम गजट में प्रकाशित हुए थे, और उनके आधार पर सुझाव दिये गये थे । क्या उन सुझावों पर विचार करने के बाद इस सर्विस का निर्माण हुआ है, या वह सुझाव अभी तक विचाराधीन है ?

डा० केसकर : इस सर्विस के बारे में बहुत काफी सुझाव आए थे और उन सब पर विचार किया गया, बल्कि इसीलिये इसमें काफी देरी हुई । माननीय सदस्य को मालूम है कि ऐसा कोई परमानेन्ट काडर बनाने के लिए मुख्यतः होम मिनिस्ट्री और पबलिक सर्विस कमीशन की जिम्मे-

दारी है और वही इस बारे में हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं । बल्कि उनकी बात ही आखिरी फैसला होती है । तो यह मामला कई बार उनके पास गया । उनके सुझाव हमको मिले । फिर उनके अनुसार इसमें कुछ फेर बदल किया गया और अन्त में पब्लिक सर्विस कमीशन की अन्तिम स्वीकृति के बाद ही यह १ मार्च से जारी की गई है ।

Shri D. C. Sharma: May I know how the salary and emoluments of the Central Information Service compare with those of the other all-India services such as the I.A.S. and the I.P.S.?

Dr. Keskar: The scales have been fixed taking into consideration the standard scales that have been laid down, and the gazette notification that has been published gives the various grades and the scales, if the hon. Member desires to have a look at them.

डा० राम सुभग सिंह : इस नई व्यवस्था की स्थापना के बाद क्या यह आशा की जा सकती है कि अन्य सभी मंत्रालयों के भी सूचना सम्बन्धी कार्य इस सेवा के अन्तर्गत आ जाएंगे ?

डा० केसकर : मैं नहीं समझता कि सूचना यानी इनफारमेशन या प्रेस के मामले में अन्य मंत्रालयों के पास कोई अफसर या कोई काम है । इस बारे में अधिकांश काम इस मंत्रालय में पहले से ही केन्द्रीभूत है ।

Shri Joachim Alva: What is the latest position? May I know whether the doors of the Central Information Service are kept open to able and hard-working young men to be absorbed in the Foreign Information Service, especially since the Foreign Information Service is lacking in dynamism and up-to-date-ness?

Dr. Keskar: I have not understood what the hon. Member means by Foreign Information Service.

Shri Joachim Alva: I want to know whether the doors have been kept open for them to be absorbed in the Foreign Service.

Dr. Keskar: I have nothing to do with the Foreign Service.

श्री त्यागी : यह जो तमाम मिनिस्ट्रियां आजादी के साथ अपने अपने तरह तरह के अखबार वगैरह बहुत सारे निकाल रही है क्या उन पर भी कुछ कंट्रोल इस सर्विस का हो जाएगा, या तमाम मिनिस्ट्रीज आजादी से अपने अपने अखबार अलग निकालती रहेंगी ?

डा० केसकर : इस सरविस का अखबारों से ऐसा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । बल्कि प्रेस और पबलिसिटी के सम्बन्ध में जो इस मिनिस्ट्री के अफसर इस मिनिस्ट्री के भिन्न भिन्न यूनिट्स में थे उन सब का एकीकरण इस सर्विस में किया गया है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सर्विस के बनने से बहुत से अफसरों की सीनियारिटी पर असर पड़ गया है और बहुत से अफसर जो पहले सीनियर थे वह कुछ अफसरों से जूनियर हो गए है ?

[شری - اے - ایم- طارق: کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس سروس کے بننے سے بہت سے افسروں کی سینیارٹی پر اثر پڑگیا ہے - اور بہت سے افسر جو پہلے سینیر تھے وہ کچھ افسروں سے جونیر ہو گئے ہیں ؟]

डा० केसकर : यह हो सकता है कि कोई अफसर किसी छोटे से यूनिट में था और वहां उसकी खास सीनियारिटी रही हो और इस सर्विस में आने के बाद वह किसी और से कम सीनियर हो गया हो । लेकिन इन सब मामलों में होम मिनिस्ट्री और पब्लिक सर्विस कमीशन के नियमों के अनुसार सीनियारिटी

निश्चित की जाती है और उसका अनुसरण हमें करना पड़ता है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या यह सर्विस उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार कि इंडियन रेलवे सर्विस है जिसमें आई० ए० एस० और आई० सी० एस० का कोई कंट्रोल नहीं है और सारे डिसीशन रेलवे वाले ही करते हैं या कि यह सर्विस आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के कंट्रोल में रहेगी ?

डा० केसकर : इस सर्विस के बारे में गजट नोटिफिकेशन में सब चीजें दी गई हैं । लेकिन मैं एक दो लाइनों में इस सर्विस के बारे में बता देना चाहता हूं ।

Posts requiring journalistic publicity and public relations experience in the various organisations of the Ministry have been encadred in this Information Service.

खास काम के लिए ही जो अफसर हैं उनको इसमें कैडर में सम्मिलित किया गया है और इसमें आ नहीं सकते ।

Shri Ram Krishan Gupta: May I know how much additional expenditure will be required for the implementation of this scheme?

Dr. Keskar: That is not easy for me to calculate. The additional expenditure will only be from the long-range point of view, in the sense that when these people get their pensions etc., Government will have to pay them extra. That has been worked out in a broad way by the Ministry of Finance, but it will not be possible for me to say what it is just now.

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय हो चुका है, या यह कि अगर इसमें कुछ कठिनाई अनुभव हो और कुछ सुझाव दिए जायें तो उन पर विचार किया जा सकेगा ?

Shri D. C. Sharma: We shall have a half-an-hour discussion.

डा० केसकर : हो सकता है कि कुछ अधिकारियों को जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं उनको अपनी सीनियारिटी की स्थिति के बारे में असंतोष हो, उनको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है और वह रिप्रेजेंटेशन अपनी टीका के साथ मिनिस्ट्री पब्लिक सरविस कमीशन के पास भेजेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा ।

Re. Q. No. 818

Mr. Speaker: Now, I shall go back to S.Q. No. 818.

Shri Manubhai Shah: Sir, I must apologise to you and to the House for having been late by a few minutes because my car got into a jam near the Queensway.

Shri Khushwaqt Rai: Holi crowd?

Shri Raghunath Singh: The hon. Minister has come late because of that, but what about the other Ministers in his Ministry?

Small and Medium Scale Industries

***818. Shri Ram Krishan Gupta:** Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 474 on the 1st December, 1959 and state at what stage is the question of liberalising assistance to small and medium scale industries?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

The question of liberalisation of terms and conditions of loans to small and medium industries has been constantly under review and wherever